

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 21.04.15

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-23/2015 श्र०सं०.....07...../ श्री प्रशान्त राहुल, श्रम अधीक्षक (सामान्य), कटिहार को वित्त विभाग के संकल्प सं० 2498, दिनांक 12.4.07 में निहित प्रावधान के तहत आदेश प्राप्त एवं प्रभार त्याग की तिथि से 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री प्रशान्त राहुल के अवकाश अवधि में श्री कुमार आलोक रंजन, श्रम अधीक्षक (कृ०श्र०), कटिहार को श्रम अधीक्षक (सामान्य), कटिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
21.04.15  
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-23/2015 श्र०सं० .....07...../ पटना, दिनांक-21.04.15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त, कटिहार/जिला पदाधिकारी, कटिहार/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21.04.15  
सरकार के उप सचिव।